पत्र संख्या-जी0एस0टी0/2022-23 07 /वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर]
उत्तर प्रदेश
(जी0एस0टी0 अनुभाग)
लखनऊ: दिनांक- 05 अप्रैल, 2022

समस्त
जोनल एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

कृपया इस पत्र के साथ संलग्न शासन के पत्र संख्या- राज्य कर 4-66/11-2022/30(05)/18 दिनांक-23-03-2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो जी0एस0टी0एन0 पोर्टल पर ऑनलाइन रिफण्ड मॉड्यूल उपलब्ध हो जाने तक मैन्युअल जी0 एस0टी0 रिफण्ड की प्रक्रिया की समय सीमा बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में है.

समसंदर्भ में अवगत कराना है कि जी0एस0टी0 प्रणाली के अंतर्गत ऑनलाइन मॉड्यूल विकसित होने तक रिफण्ड प्रार्थना पत्रों की मैन्युअल फाइलिंग एवं प्रोसेसिंग की व्यवस्था की गयी थी. रिफण्ड से सम्बंधित पूर्णतया ऑनलाइन एकीकृत रिफण्ड प्रणाली दिनांक 26 सितम्बर 2019 से क्रियाशील की गयी तथा मैन्युअल रिफण्ड दावों के निस्तारण हेतु तात्कालिक परिस्थितियों के दृष्टिगत समय सीमा को समय-समय पर शासन द्वारा बढ़ाया गया तथा अंतिम रूप से रिफण्ड के मैन्युअल निस्तारण की समय-सीमा शासनादेश संख्या रा0क0-4-304/11-2020-300(5)/9 दिनांक 21 मई 2020 द्वारा 30 जून 2020 तक बढ़ाये जाने का निर्णय लिया गया.

तत्क्रम में कतिपय जोन द्वारा दिनांक 30.06.2020 के उपरान्त लंबित मैन्युअल रिफण्ड से सम्बंधित सूचना प्रेषित की गयी , जिसके निस्तारण हेतु शासन को लंबित मैन्युअल रिफण्ड के निस्तारण की समय सीमा दिनांक 31.03.2022 तक बढ़ाये जाने का प्रस्ताव प्रेषित किया गया था. शासन द्वारा लंबित मैन्युअल रिफण्ड की समय सीमा को दिनांक 31.03.2022 तक बढ़ाये जाने का औचित्य नहीं पाया गया है।

अतः शासन के उक्त आदेश की प्रति पत्र के साथ संलग्न कर इस आशय के साथ प्रेषित है कि उक्त से अपने अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत कराने का कष्ट करें।

यह पत्र कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0 के अनुमोदनोपरान्त प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार

भवदीया,

5.4.2022

(गीता सिंह)

एडीशनल कमिश्नर (जी0एस0टी0)

वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या–राज्य कर 4–66/11–2022/30(05)/18

प्रेषक,

राम सिधारे,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कमिश्नर,
वाणिज्य कर,
उ0प्र0, लखनऊ।

राज्य कर अनुभाग–4 लखनऊ : दिनांकः 23 मार्च, 2022

विषयः– जी0एस0टीएन0 पोर्टल पर ऑनलाईन रिफण्ड माड्यूल उपलब्ध हो जाने तक मैनुअल जी0एस0टी0 रिफण्ड की प्रकिया की समय सीमा बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या जी0एस0टी0/आर0–261/2021–22/654/वाणिज्य कर दिनांक 01.02.2022 का कृपया सदर्भ ग्रहण करे, जिसकें माध्यम से प्रकरण में कतिपय सूचना उपलब्ध कराते हुए लम्बित 46 अवशेष एस0जी0एस0टी0 रिफण्ड के आहरण की मैनुअल व्यवस्था की समय सीमा को दिनांक 31.03.2022 तक बढाये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उक्त लम्बित 46 अवशेष एस0जी0एस0टी0 रिफण्ड के आहरण की मैनुअल व्यवस्था की समय सीमा को दिनांक 31.03.2022 तक बढाये जाने का औचित्य नहीं पाया गया।

भवदीय,

(राम सिधारे)
अनु सचिव।

JC(GST)